संख्या: 2274 / XVII(4)/2011/02(2)/11

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 04 अक्टूबर, 2011

विषयः– **आई0सी0डी0एस0 हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये पका–पकाया भोजन (कुक्ड फूड) योजना की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 897/ XVII(4)/2010/02(2)/11 दिनांक 18–4–2011 के कम में आपके पत्र संख्या 522/आई0सी0डी0एस0/ बजट–कुक्ड फूड–1975/2011–12 दिनांक 14–6–2011 एवं 848/ आई0सी0डी0एस0/ बजट– एस0एन0पी0–1975/2011–12 दिनांक '30–7–2011 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 की आयोजनागत पक्ष की पोषाहार योजना में क्रमशः धनराशि रू0 843.80 लाख, रू0 116.60 लाख एवं रू0 39.60 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की वित्तीय स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 18–4–2011 में निहित प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय यथाआवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आलोक में नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं अन्य संगत नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत यदि शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं मानक मदों से वहन किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 201(पी)/ XXVII(3)/2011-12 दिनाँक 03–09–2011द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्या 2274 (1)/XVII(4)/2011 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
7. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)

संयुक्त सचिव

शासनादेश सख्या 2274/XVII(4)/2011/तद्दिनांक का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

	अनुदान स0	योजना/लेखाशीर्षक	कुक्ड फूड हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि	पोषाहार ढुलान हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
1	15	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02– समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 03 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार, कार्यकम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था। 0303– .पुष्टाहार कार्यकम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था 31–सामाग्री और सम्पूर्ति	518.80	325.00	843.80
	30	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02– समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 02– अनु0 जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0202–समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार (राज्य योजना) 31–सामाग्री और सम्पूर्ति	66.60	50.00	116.60
3	31	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02– समाज कल्याण 796– जनजातिय क्षेत्र उप योजना 01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0102– पुष्टाहार कार्यकम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (राज्य योजना) 31–सामाग्री और सम्पूर्ति	14.60	25.00	39.60
		योग अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31	600.00	400.00	1000.00

(रू0 दस करोड़ मात्र)

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव